## **बिहार सरकार** मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

## –:: अधिसूचना ::-

पटना-15, दिनांक-.....जून, 2015

संख्या — मं0मं0—01/मंत्रिपरिषद्—05/2011...................../भारत संविधान के अनुच्छेद—166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :—

## -ः <u>संशोधन</u>ः-

(1) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के "क्रमांक—01 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (क) मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन क्रमांक—24 के बाद निम्नलिखित दो नये क्रमांक—"24 क एवं 24 ख" जोड़े जाएंगें :—

"24 क- मुख्यमंत्री के परामर्शी की नियुक्ति।"

"24 ख— 'मंत्रिमंडल की स्थायी समितियाँ, मंत्रिपरिषदीय समितियाँ, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं मंत्रियों के समूह का गठन।"

(2) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम—32 (क) की उप कंडिका (xx) के बाद निम्नलिखित एक नई उप कंडिका (xxi) जोड़ी जाएगी :--

"(xxi) 'मंत्रिमंडल की स्थायी समितियाँ, मंत्रिपरिषदीय समितियाँ, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं मंत्रियों के समूह का गठन।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(शिशिर सिन्दी) 6-15
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-05/2011 <u>निर्म</u>/दिनांक-<u></u> <u>निर्म</u>

प्रतिलिपि — राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

> (शिशिष्र सिन्हा) - ( · । < सरकार के प्रधान सचिव

प्रतिलिपि — अवर सचिव, (ई० गजट शाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अधिसूचना की सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

(शिशिश्र / सन्हा) 🗸 🗸

# Government of Bihar Cabinet Secretariat Department

### -:: Notification ::-

Patna, 15 Dated.....June, 2015

File No- Memo No:- MM-01/Mantri Parishad-05/2011.........../In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 166 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Rules of Executive Business, of Bihar, 1979 (Amended from time to time) with immediate effect:-

#### -:: Amendment ::-

- 1. The following New Serial No-24 A and 24 B shall be added after serial No-24 of the list Sl. No.-01 Cabinet Secretariat Department (a) Cabinet Secretariat in First Schedule of Rules of Executive Business, 1979 (amended from time to time):-
  - "24A. Appointment of advisor to the Chief Minister"
- "24B. Constitution of Standing Committees of the Cabinet, Cabinet Committees, State Level Monitoring Committee and Group of Ministers."
- 2. The following Sub Para (xxi) Shall be added after Sub Para.- (XX) of the Rule 32 (a) of Rules of Executive Business, 1979 (amended from time to time) as under:-

(xxi)"Constitution of Standing Committees of the Cabinet, Cabinet Committees, State
Level Monitoring Committee and Group of Ministers."

By order of the Governor of Bihar

Principal Secreatry to the Government

Copy forworded to Principal Secretary to the Governor/Principal Secretary to the Chief Minister/Chief Secretary, Bihar/Development Commissioner, Bihar/All Private Secretary to the Miniters of Bihar/All Principal Secretary/Secretary/Heads of the Departments, Govt. of Bihar for information and necessary action.

Principal Secreatry to the Government

Copy forworded to Under Secretary, Finance Department (E.Gazette Section), Govt. of Bihar.

The Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbagh, Patna-800007 with the request for Publication in Extra Ordinary issue of the Bihar Gazette. He is also requested to send its 100 (One Hundered) copies to this Department.

Principal Secreatry to the Government